झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा — तृतीय (मॉनसून) सत्र

संख्या-03 — मंगलवार, दिनांक-22 सितम्बर, 2020ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 07.16 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कतिपय माननीय सदस्य एवं सत्तापक्ष के माननीय सदस्य, श्री उमाशंकर अकेला एवं श्री इरफान अंसारी अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ-कुछ बोल रहे थे जो स्पष्टतः सुनाई नहीं दे रहा था।

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

दिनांक-12 अगस्त, 2020 को राँची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित पुलिस गेस्ट हाउस में नाबालिग बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियोजित शिक्षकों के विरूद्ध आये फैसले के सम्बन्ध में क्रमशः माननीय सदस्य, श्री विरंची नारायण एवं श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा अलग-अलग दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं से आसन द्वारा सदन को अवगत कराया गया और प्रस्तावक माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे इसमें निहित विषयों को सदन में होनेवाली चर्चाओं के दौरान रखेंगे तत्पश्चात् उक्त दोनों सूचनाओं को अमान्य किया गया।

इस अवसर पर विरोधस्वरूप भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्री अमर कुमार बाउरी, भानु प्रताप शाही, मनीष जायसवाल, अमित कुमार मण्डल एवं श्री नारायण दास सहित कतिपय माननीय सदस्य सदन की वेल में आ गये और नारेबाजी करने लगे। आसन द्वारा बार-बार उन्हें अपने-अपने स्थान पर बैठने हेतु कहा गया, लेकिन वे यथा स्थिति बनाये रखे।

2. आसन से नियमन:-

भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल किये जाने के बीच माननीय सदस्य, श्री रणधीर कुमार सिंह के द्वारा सदन में किये जा रहे प्रतिकूल व्यवहार से आसन द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी और उन्हें पूरे सत्र के लिए सदन से मार्शल आउट किये जाने हेतु नियमन दिया गया।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री रणधीर कुमार सिंह को मार्शल आउट किया गया।)

विपक्ष के माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा नियोजित शिक्षकों के निरस्तीकरण सम्बन्धी न्यायालय के फैसले पर दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को लेकर विरोध किया जा रहा था जिसपर आसन के निदेश से माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी।

3.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-36

(क) उत्तरित मात्र-01, अ० सू०-36 श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स० वि० स०,

(ख) अपृष्ठ मात्र-01, अ० सू०-35 श्री अमर कुमार बाउरी, स० वि० स०,

क्रमशः

(ग) अनागत कुल-34, अ० सू०-37 से 70 तक।

इस क्रम में पुनः भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन की वेल में आकर पूर्व की भाँति नारेबाजी करने लगे, अतएव भारी शोरगुल-नारेबाजी के कारण शेष प्रश्न नहीं लिये जा सके। अतः अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.29 बजे पूर्वा० से लेकर 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

स्थगनोपरांत

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

4.शून्यकाल:-

आज के लिए प्राप्त सभी शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानकर लिखित उत्तर हेतु सम्बन्धित विभागों में भेजे जाने हेतु आसन द्वारा निदेश दिया गया।

5.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें:-

i- श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह एवं अन्य स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ एवं

ii- श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

6.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

(क) पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री (संसदीय कार्य), श्री आलमगीर आलम द्वारा **The Jharkhand Advocate's Welfare Fund Rules, 2018** की प्रति सभा पटल पर रखी गयी,

(ख) पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग), श्री जगरनाथ महतो द्वारा झारखण्ड खनिज धारित (**COVID-19 PANDEMIC**) सेस नियमावली, 2020 की प्रति सभा पटल पर रखी गयी,

(ग) पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग), श्री जगरनाथ महतो द्वारा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् (समग्र शिक्षा) का वर्ष-2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा की प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

इस अवसर पर अपनी पूर्व की माँगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य पुनः सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सभा की कार्यवाही 12.50 बजे अप० से 02.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित की गयी।

अन्तराल

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार मण्डल द्वारा आसन से आग्रह किया गया कि माननीय सदस्य, श्री रणधीर कुमार सिंह को सदन में आने की अनुमति प्रदान की जाय तदुपरांत आसन के निदेश से माननीय सदस्य, डॉ० इरफान अंसारी, श्री भानु प्रताप शाही एवं श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा माननीय सदस्य, श्री रणधीर कुमार सिंह को ससम्मान सदन में लाया गया।

कृ०पृ०उ०

7.विधायी कार्य:-

i- झारखण्ड राज्य सेवा देने का गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2020

माननीय प्रभारी मंत्री (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग), श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात **"झारखण्ड राज्य सेवा देने का गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2020"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

ii- दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020

माननीय प्रभारी मंत्री (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग), श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 03, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

iii- झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (कोविड-19 महामारी) उपकर विधेयक, 2020

माननीय प्रभारी मंत्री (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग), श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 13, खण्ड-14, खण्ड-15 से 16, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (कोविड-19 महामारी) उपकर विधेयक, 2020"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ एवं माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

iv-झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020

माननीय प्रभारी मंत्री (वाणिज्य कर विभाग), डॉ० रामेश्वर उरॉव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम मे विधेयक के खण्ड- 02 से 36, अनुसूची, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

V-झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020

माननीय प्रभारी मंत्री (वाणिज्य कर विभाग), डॉ० रामेश्वर उरॉव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम मे विधेयक के खण्ड- 02, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

Vi- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020

माननीय प्रभारी मंत्री (वाणिज्य कर विभाग), डॉ० रामेश्वर उरॉव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम मे विधेयक के खण्ड- 02 से 07, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

Vii- मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2020

माननीय प्रभारी मंत्री (परिवहन विभाग), श्री चम्पाई सोरेन द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम मे विधेयक के खण्ड- 02 से 06, अनुसूची, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

क्र० पृ० उ०

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2020"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ एवं माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह का प्रवर समिति में सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

VIII- झारखण्ड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद् विधेयक, 2020

माननीय प्रभारी मंत्री (स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग), श्री बन्ना गुप्ता द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के अध्याय-02 के खण्ड- 02, खण्ड-03, खण्ड-04, खण्ड-05, खण्ड-06, खण्ड-07, खण्ड-08, खण्ड-09, खण्ड-10, खण्ड-11 से 13, खण्ड-14, अध्याय-03 का खण्ड-16, अध्याय-05 का खण्ड-32, 33 एवं 34, अध्याय-06 का खण्ड-40 एवं 41, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद् विधेयक, 2020"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ एवं माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, श्री राज सिन्हा एवं श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

8.विशेष वाद-विवाद:-

कोरोना महामारी विषयक सदन में लाये गये प्रस्ताव पर आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा चर्चा प्रारम्भ की गयी तत्पश्चात् निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया-

श्री लोबिन हेम्ब्रम,

(इस अवसर पर सदन की कार्यवाही पर्यन्त सभा का समय विस्तारित किया गया।)

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,
श्री राजेश कच्छप,
श्री लम्बोदर महतो,
श्री अमित कुमार यादव,
श्री विनोद कुमार सिंह एवं
श्री बंधु तिर्की तत्पश्चात् सरकार की ओर से माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री बन्ना गुप्ता द्वारा उत्तर दिया गया।

(इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

9.गैर सरकारी संकल्प की सूचनायें:-

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के तृतीय (मॉनसून) सत्र में निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर-सरकारी संकल्प की सूचनायें पढ़ी गयी एवं सरकारी उत्तर के पश्चात् इन्हें वापस लिया गया:-

क्र०सं०	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	स्थिति
01	श्री अनन्त कुमार ओझा	साहेबगंज में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना	वापस

क्र० पृ०/30

02	प्रो० स्टीफन मराण्डी	महेशपुर प्रखण्ड को अनुमण्डल का दर्जा देना	वापस
03	श्री मथुरा प्रसाद महतो	राजगंज को प्रखण्ड बनाना	वापस
04	श्री नलिन सोरेन	मसानजोर डैम के दायें तट पर नहर बनाना	वापस
05	श्री रामचन्द्र सिंह	लातेहार के बरवाडीह प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करना	वापस
06	श्री लम्बोदर महतो	विभिन्न पथों का निर्माण करना	वापस
07	श्री विनोद कुमार सिंह	न्यायिक अनुमण्डल का दर्जा देना	वापस
08	श्री सरयू राय	केबुल कम्पनी को दिवालिया घोषित होने से रोकना	वापस
09	डॉ० इरफान अंसारी	बराकर नदी पर निर्माणाधीन बारबेंदिया पुल को पूर्ण कराना	वापस
10	श्री मनीष जायसवाल	राज्य में भूमि सर्वे का कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराना	वापस
11	श्री नारायण दास	ई-स्टाम्पिंग की व्यवस्था पूर्व की भाँति यथावत् रखने के सम्बन्ध में	वापस
12	श्री प्रदीप यादव	झारखण्ड सरकार में Out Sourcing Agency द्वारा लिये जा रहे सेवा को समाप्त कर स्थायी बहाली के सम्बन्ध में	वापस
13	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	बराकर नदी पर निर्माणाधीन बारबेंदिया पुल को पूर्ण कराना	वापस
14	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	धनबाद नगर निगम क्षेत्र के झरिया में जलापूर्त्ति योजना को पूर्ण कराना	वापस
15	श्री बिरंची नारायण	33 के०वी० विद्युत वितरण केन्द्र को प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में	वापस

10.समापन भाषण:-

आसन की अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए समापन भाषण दिया गया। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने समापन भाषण में सारगर्भित उद्‌गार व्यक्त किये गये। कोरोना काल में आहूत वर्त्तमान सत्र सदुपयोगी साबित हुआ। तीन दिनों के कार्यावधि में प्राप्त प्रश्नों, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण सूचनायें, गैर सरकारी संकल्प, विधेयकों के सम्बन्ध में विस्तार से स्थिति आसन द्वारा स्पष्ट की गयी। इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिवेदनों की चर्चा की गयी और अंततः सत्र के सफल संचालन में विभागीय अधिकारियों, पुलिस-पदाधिकारियों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग की सराहना करते हुए आनेवाले त्योहारों की भी अग्रिम बधाई दी गयी तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी।

राँची,
दिनांक- 22 सितम्बर, 2020 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।